न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/59

1. लक्ष्मी पुत्री मूलचन्द पत्नी गोपाल सोनी जाति सुनार निवासी ग्राम देई हाल निवास गांधीपुरा चुंगीनाका के पास वार्ड नं0 13 लाखेरी जिला बून्दी ।
2. संतोष पुत्री मूलचन्द जाति सुनार पत्नी श्री श्यामबिहारी सोनी निवासी मकान नं0 86 ए आर.के.पुरम, कोटा ।

---अपीलान

बनाम

1. रामदेव आत्मज मूलचन्द जाति सुनार निवासी चारभुजा मंदिर के पास की गली सुनारों क मोहल्ला देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गीता पुत्री मूलचन्द जाति सुनार पत्नी श्री रामजीलाल सोनी निवासी विक्की विलास मका नं0 1/536 हाउसिंग बोर्ड, सवाईमाधोपुर ।
3. सीता पुत्री मूलचन्द पत्नी श्री राधेश्याम सोनी निवासी सदर बाजार कैथून जिला कोटा ।
4. मेम पुत्री मूलचन्द पत्नी पुष्कर सोनी जाति सुनार निवासी चारभुजा मंदिर के पास मुंशी ज की गली बून्दी जिला बून्दी ।
5. सत्यनारायण आत्मज गाडमल जाति महाजन निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी
6. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोड

उपस्थित :– 1. श्री कृष्णदत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 18.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध पेश क गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया ग्राम देई तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 1668 रकबा 03 बिस्वा एवं खसरा संख्या 16

रकबा 07 बिस्वा कुल 02 किता की कुल रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1322 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1666 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2872/2 रकबा 08 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता मूलचन्द एवं अप्रार्थी सत्यनारायण व गुलाब बाई के सम्मिलित खातेदारी व आधिपत्य की भूमि थी जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा था और चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता मूल चन्द के खातेदारी व आधिपत्य की भूमि थी । प्रार्थी के पिता मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है । प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कम 1 से 4 एवं प्रार्थिया की मां धापूबाई प्रार्थीगण के पिता के हिस्से पर सम्मिलित रूप से बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण की मां की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कम 1 से 4 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण का हिस्सा चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर 1/2 का 1/6 प्रत्येक का इस प्रकार कुल 1/6 + 1/6 कुल 1/3 इस प्रकार कुल भूमि पर 1/6 हिस्सा है जो प्रत्येक का 1/12 के हिसाब से है । पक्षकारान अपने –अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से मूलचन्द की पुत्रियों होने का तथ्य छुपाकर केवल अपने नाम ही इंतकाल खुलवा लिया जो अवैध है । उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द एवं अन्तरण नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्ट को मृतक मूलचन्द की पुत्रियॉ स्वीकार किये जाने के बावजूद भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलान्ट मृतक मूलचन्द जी की पुत्रियॉ हैं तथा वे स्व0 मूलचन्द जी की वैध उत्तराधिकारी हैं उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है । रेस्पोडेन्टगण यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन, बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । वादग्रस्त आराजी में से चरण संख्या 01 में अंकित आराजी अपीलान्ट के पिता मूलचन्द व रेस्पोडेन्ट सत्यानारायण व गुलाबबाई के सम्मिलित खातेदार व आधिपत्य की भूमि थी । अपीलान्ट के पिता मूलचन्द का हिस्सा 1/2 था, शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सत्यनारायण व गुलाब बाई का था । चरण संख्या 02 की आराजी मूलचन्द के तन्हा खाते में दर्ज थी । गुलाबबाई की मृत्यु हो चुकी है, मूलचन्द जी की मृत्यु सन् 1992 को हो चुकी है । अपीलान्ट की माता धापू बाई की भी मृत्यु 07.03.2003 को हो चुकी है । अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् से ही अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 व अपीलान्ट की माता धापूबाई, मूलचन्द जी के हिस्से पर सम्मिलित रूप से बहैसियत कृषक खातेदार काबिज चले आ रहे थे । अपीलान्ट का हिस्सा उक्त भूमि पर क्रमशः 1/2 का 1/6 व 1/6 प्रत्येक का है । समस्त सहखातेदार अपने –अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट ने अवैध रूप से मूलचन्द जी की पुत्रियॉ होने का तथ्य छिपाकर केवल अपने नाम ही इंतकाल खुलवा लिया और इस इंतकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को बेचान करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । नामान्तरकरण नहीं खोलने से वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामदेव पुत्र मूलचन्द व धापू बेवा मूलचन्द हिस्सा 1/2 व सत्यनारायण वल्द गाडमल, गुलाब बाई बेवा गाडमल हिस्सा 1/2 खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार ग्राम देई की 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि रामदेव पुत्र मूचलन्द व धापू बेवा मूलचन्द के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 के अनुसार खसरा नम्बर 2872/2 की 08 बीघा भूमि मूलचन्द वल्द रामप्रताप के खाते में दर्ज है । मूलचन्द के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है । नामान्तरकरण संख्या 377 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2872/2 की 08 बीघा भूमि मूलचन्द के खाते दर्ज होने के आदेश हुए हैं ।

9. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके पिता मूलचन्द के खाते से आराजी उनके भाई रामदेव और धापू बेवा मूलचन्द के खाते में दर्ज हुई है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 16668, 1669 की कुल 10 बिस्वा भूमि और मद संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बर 1322 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1666 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2872/2 रकबा 08 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा भूमि को विवादित बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर खसरा नम्बर 2872/2 की फोटो प्रति,

नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार यह आराजी मूलचन्द पुत्र रामप्रताप के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 377 के अनुसार यह आराजी मूलचन्द बेटा रामप्रताप के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं ।

10. अपील में अपीलान्ट के द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1322, 1666, 2872/2 मूलचन्द बेटा रामप्रताप के खाते में दर्ज है। एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार रामदेव ने वादग्रस्त आराजी में से कुछ आराजी का विक्रय किया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 के अनुसार अन्य खसरा नम्बर 1668 और 1669 02 किता की 10 बिस्वा आराजी में मूलचन्द का 1/2 हिस्सा था । वादग्रस्त आराजी मूलचन्द के खाते से रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते आई है और अपीलान्टगण ने स्वयं को मूलचन्द की पुत्रियॉ बताते हुए वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा का दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई तथ्य नहीं बताए हैं । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व साक्ष्य के उपरान्त मूल दावे में तय होंगे परन्तु मूलचन्द की पुत्रियॉ होने के नाते अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी में प्रथमदृष्टया हित निहित होना पाया जाता है । सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर हम रेस्पोडेन्ट कम 1 को वादग्रस्त आराजी को ताफैसला दावा रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से आराजी को अन्तरण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट कम 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा